

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-खंडवा। जिला-खंडवा

प्रकरण क्रमांक 06 / अ-२ / 2014-2015

मौजा - ग्राम दोंदवाड़ा। तहसील-खंडवा।

१- श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी

निवासी संतोषनगर कालोनी, खंडवा तहसील एवं जिला-खंडवा।

आवेदिका।

॥ आदेश ॥

(पारित दिनांक 07-11-2014)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी निवासी, खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन पत्र अधिवक्ता श्री अरुण गुप्ता के माध्यम से, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 172 (1) के तहत नियत प्ररूप में पेश कर ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा रिथत मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं० 874, 875 क्रमशः रकबा 0.720, 0.610 है० कुल रकबा 1.330 हैक्टर का व्यपवर्तन "औघोगिक-ईट बनाने के प्रयोजनार्थ" हेतु चाहा गया है। आवेदन पत्र के साथ भूमि की रजिस्ट्री छाया प्रति, भूमि का नक्शा, खसरा, बी-१, मानवित्र आदि दस्तावेज संलग्न पेश किये गये हैं।

२- उक्त आवेदित कृषि भूमि को कृषि भिन्न "औघोगिक ईट बनाने के प्रयोजन" हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में इश्तहार जारी किया। नियत अवधि में कोई आपत्ति न्यायालय में प्राप्त नहीं हुई। साथ ही संबंधित विभागों से तत्संबंधी अभिमत चाहा गया। अधीक्षक, भू-अभिलेख परि० एवं राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा से स्थल जॉच प्रतिवेदन एवं रेन्ट गणना बाबत जानकारी प्राप्त की गई।

३- उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा तथा अन्य संबंधित विभागों की एनओसी समयावधि में प्राप्त नहीं। सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा जनपद पंचायत, छैगांवमाखन का पत्र प्राप्त, जिसमें दर्शित किया कि ग्राम दोंदवाड़ा की जनसंख्या वर्तमान सर्वे अनुसार 1500 की है।

४- मेरे द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनयम-2003 "मूल अधिनियम की धारा-172 का संशोधन एवं प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ २-१/२०१३/सात/शा.६ दिनांक 25 जून-2014 की कंडिका-२ का अवलोकन किया। "इस धारा के प्रावधानानुसार 2000 से कम की जनसंख्या वाले ग्रामों में स्थित भूमियों के लिये अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मामलों में केवल धारक द्वारा उपखंड अधिकारी को व्यपवर्तन की लिखित सूचना दी जाना पर्याप्त है।

५- अधीक्षक, भू-अभिलेख परि०/राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा द्वारा आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं० 874, 875 क्रमशः रकबा 0.720, 0.610 है० स्थल की जॉच की जाकर प्रतिवेदन, रेन्ट गणना प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प०ह०नं०-८८/३८ ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा, की भूमि खसरा नं० 874, 875 क्रमशः रकबा 0.720, 0.610 है० कुल रकबा 1.330 हैक्टर भूरा० रूपये २०० आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्थामी स्वत्व में दर्ज है। आवेदिका ने उक्त वर्णित संपूर्ण भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन औघोगिक-ईट बनाने के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन चाहा है। आवेदित भूमि स्थल पर रिक्त है, भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा विकास खंड, छैगांवमाखन की सीमा अन्तर्गत आती है। भूमि, नगर पालिक निगम, खंडवा सीमा में स्थित नहीं है।

-2-



श्रीमती आशा पति कमलेश लेटि न. (८३०)

आवेदित भूमि शासकीय अथवा पट्टे की भूमि नहीं है। भूमि में से हाईटेन्शन विघुत लाईन नहीं जा रही है। भूमि खंडवा छोगांवमाखन मार्ग के दक्षिण दिशा में स्थित होकर खंडवा से करीबन 13 कि.मी. की दूरी पर है, भूमि का व्यपवर्तन औद्योगिक-ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु किया जाता है तो किसी प्रकार का प्रदूषण अथवा न्यूसोंस नहीं होगा। प्रश्नाधीन आवेदित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर का वर्गफीट में क्षैत्रफल 143160 वर्गफीट (13300 वर्गमीटर) होता है।

आवेदित भूमि की चतुरसीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व दिशा में	— हुकुम, प्रभु एवं बलीराग की भूमि।
पश्चिम दिशा में	— खसरा नं० 858/2 की भूमि
उत्तर दिशा में	— आम रास्ता
दक्षिण दिशा में	— आम रास्ता।

प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल अधिसूचना दिनोंक 10 जुलाई-2014 वर्णित अनुसूची अनुसार भूमि के उपयोग हेतु भूराजस्व के पुर्णनिर्धारण हेतु दर/प्रीमियम का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम दोदवाड़ा (ग्राम पंचायत परिसीमा) तहसील-खंडवा हेतु कलेक्टर, खंडवा गाईड लाईन वर्ष 2014-15 अनुसार बाजार मूल्य रूपया 23,40,900=00 (तेईस लाख चालीस हजार नौ सौ रुपया) प्रति हैक्टर के मान से निर्धारित है, इस लाईन अनुसार बाजार मूल्य रूपया 31,13,397=00 (इकतीस लाख तेरह हजार तीन सौ सत्यानवे रुपया) निर्धारित होती है, इस राशि का 0.2 प्रतिशत औद्योगिक भू-परिवर्तित रेन्ट रूपया 6,227=00 प्रीमियम राशि रूपया 31,114=00 राजस्व वर्ष 2014-2015 से निर्धारित कर कायम किया जाना तथा कृषि भू-राजस्व रूपया 2=00 कम किया जाना प्रस्तावित किया है, जो एतद्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

5— प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि ग्राम दोदवाड़ा 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है० कुल रकबा 1.330 हैक्टर भू०रा० रूपये 2=00श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन औद्योगिक-ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने बाबत इश्तहार जारी होने पर, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अतएव उक्त विवेचना परिप्रेक्ष्य-में ग्राम दोदवाड़ा तहसील-खंडवा की भूमि खसरा नं० 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है० कुल रकबा 1.330 हैक्टर (अर्थात् 143160 वर्गफीट / 13300 वर्गफीट) भूमि का “औद्योगिक-ईंट बनाने के प्रयोजन” हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं निर्धारण के तहत प्रदान की जाती है।

1— व्यपवर्तित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर अर्थात् 143160 वर्गफीट / 13300 वर्गमीटर भूमि पर औद्योगिक परिवर्तित रेन्ट रूपया 6,227=00 प्रतिवर्ष, पंचायत उपकर रूपया 3,114=00 पर औद्योगिक परिवर्तित रेन्ट रूपया 31,134=00 कायम किया जाता है। औद्योगिक परिवर्तित रेन्ट प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम रूपया 31,114=00 कम किया जाता है।

राजस्व वर्ष 2014-2015 से देय होगा। कृषि भू०रा० 2=00 कम किया जाता है।
2— व्यपवर्तित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व, स्थानीय संस्था, ग्राम पंचायत, दोदवाड़ा से भवन निर्माण अनुमति, उपयंत्री मानचित्र अनुमोदन, प्राप्त करना आवश्यक होगा। व्यपवर्तित भूमि का अन्य मद प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जावेगा।

—2—

भूमि में से हाईटेन्शन विघुत लाईन आपोवत भूमि शासकीय अधिकार पद्धते की भूमि नहीं है। भूमि में से हाईटेन्शन विघुत लाईन आपोवत भूमि शासकीय अधिकार पद्धते की भूमि नहीं है। भूमि खंडवा छंगांवमार्यन मार्ग के दक्षिण दिशा में स्थित होकर खंडवा से लाईन 13 किमी. तीर दूरी पर है, भूमि का व्यपवर्तन औपागम-ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु किया जाता है तो किसी प्रकार का प्रदूषण अथवा व्यापार नहीं होगा। प्रश्नाधीन आवेदित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर का वर्गफीट में क्षेत्रफल 143160 वर्गफीट (13300 वर्गमीटर) होता है।

आवेदित भूमि की चतुररसीमा निम्नानुसार है :—

- हुकुम, प्रभु एवं बलीराग की भूमि।
- खसरा नं० 858/2 की भूमि
- आम रास्ता
- आम रास्ता।

उत्तर दिशा में पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में दक्षिण दिशा में प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई-2014 वर्णित अनुसूची अनुसार भूमि के उपयोग हेतु भूराजस्व के पुर्णनिर्धारण हेतु दर/प्रीमियम का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम दोदवाड़ा (ग्राम पंचायत परिसीमा) तहसील-खंडवा हेतु कलेक्टर, खंडवा गाईड लाईन वर्ष 2014-15 अनुसार बाजार मूल्य रूपया 23,40,900=00 (तेईस लाख चालीस हजार नौ सौ रूपया) प्रति हैक्टर के मान से निर्धारित है, इस मान से आवेदित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर (143160 वर्गफीट / 13300 वर्गमीटर) का गाईड लाईन अनुसार बाजार मूल्य रूपया 31,13,397=00 (इकतीस लाख तेरह हजार तीन सौ सत्यानबे रूपया), निर्धारित होती है, इस राशि का 0.2 प्रतिशत औघोगिक भू-परिवर्तित रेन्ट रूपया 6,227=00 वार्षिक, तथा इस राशि का 50 प्रतिशत पंचायत उपकर रूपया 3,114=00 होता है, तथा 1 प्रतिशत प्रीमियम राशि रूपया 31,114=00 राजस्व वर्ष 2014-2015 से निर्धारित कर कायम किया जाना तथा कृषि भू-राजस्व रूपया 2=00 कम किया जाना प्रस्तावित किया है, जो एतदद्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

5— प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि ग्राम दोदवाड़ा 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है 0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर भूरा०रा० रूपये 2=00श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन औघोगिक-ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने बाबत इश्तहार जारी होने पर, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अतएव उक्त विवेचना परिप्रेक्ष्य में ग्राम दोदवाड़ा तहसील-खंडवा की भूमि खसरा नं० 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है 0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर (अर्थात् 143160 वर्गफीट / 13300 वर्गफीट) भूमि का "औघोगिक-ईंट बनाने के प्रयोजन" हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं निर्धारण के तहत प्रदान की जाती है।

1— व्यपवर्तित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर अर्थात् 143160 वर्गफीट / 13300 वर्गमीटर भूमि पर औघोगिक परिवर्तित रेन्ट रूपया 6,227=00 प्रतिवर्ष, पंचायत उपकर रूपया 3,114=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम रूपया 31,134=00 कायम किया जाता है। औघोगिक परिवर्तित रेन्ट राजस्व वर्ष 2014-2015 से देय होगा। कृषि भूरा०रा० 2=00 कम किया जाता है।

2— व्यपवर्तित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व, स्थानीय आवश्यक होगा। व्यपवर्तित भूमि का अन्य मद प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जावेगा।

-3-

3- पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी प्रकार के प्रदूषण हेतु (यदि आवश्यक हो तो) म0प्र0प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4- विघुत लाईन के नीचे अथवा विघुत लाईन से प्रभावित क्षेत्र में विकास/निर्माण कार्य प्रतिबंधित होगा।

5- भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनीकी से करना आवश्यक होगा। वर्षा/छत के पानी की हार्डस्टिंग प्रणाली की वैकल्पिक व्यवस्था म.प.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) में दिये गये विकल्पों के अनुसार करना अनिवार्य होगा। भवन में निःशक्त व्यवितयों के लिये बाधा रहित आवागमन हेतु उचित प्रावधान (रेप्प इत्यादि) करना अनिवार्य होगा।

6- स्थल पर विघमान वृक्षों को यथावत रखा जावे, जिन वृक्षों को काटना हो उसके लिये नियमानुसार अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा। भूमि-भूखड़ का उपविभाजन मान्य नहीं होगा।

7- प्रस्तावित उपयोग से संबंधित समस्त सुरक्षा साधनों की स्वयं को व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं की भूमि पर करना होगा।

8- भूमिस्वामित्व संबंधी वाद/विवाद होने की दशा में अथवा गलत जानकारी देने अथवा आदेश में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की दशा में दी गई अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 07-11-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा से जारी किया।



(महेन्द्रसिंह कवचे)
अनुमतिमालीका अधिकारी, (रा.)
महेन्द्रसिंह खंडवा

खंडवा, दिनांक 07-11-2014

पृष्ठां ०५० के / री-आ०वि०आ०/ 2014

प्रतिलिपि-

1- उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा।

2- तहसीलदार, तहसील-खंडवा / सहा०अधी० परिवर्तित शाखा, खंडवा।

3- सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा। जन०पंचा० छैगांवमाखन। तहसील-खंडवा।

4- पटवारी, ग्राम दोंदवाड़ा। तह०खंडवा द्वारा- राजस्व निरीक्षक, छैगांवमाखन।

5- आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी संतोषनगर कालोनी, खंडवा। तहसील एवं जिला-खंडवा। की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु। औद्योगिक परिवर्तित रेन्ट/प्रीमियम राशि अविलंब जमा कर चालान प्रति पेश करें।

अनुमतिमालीका अधिकारी, (रा.)
अनुमति अधिकारी, खंडवा

क्रमसंख्या ५३० तिथि कमलेश द्वारा दिनांक ०८-११-२०१४

(1)

संसालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग—खंडवा। जिला—खंडवा



7/11/2014

प्रकरण अंक ८/अ-२/2014-2015

मौजा—ग्राम.....दोलतहाड़ी

NPP. NO.
138614

विषय—भूमि को कृषि/पड़ती गिन प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन। मौजा ग्राम.....

16/10/14 आवेदक/आवेदकगण श्री मस्ती आशा देवी

प्रिया श्री कमलेश मंडी

निवासी... संतोषनगर कर्बली रुड़वा तहसील रुड़वा जिला खंडवा ने एक आवेदन पत्र मध्यप्रदेश भू-राजरख सांहिता-1959 की धारा 172(1) के तहत प्रस्तुत कर रख्य/संयुक्त मालिकी एवं कब्जा की भूमि ग्राम दोलतहाड़ी वास्तविक नं. ८१५, ८१५ रकवा ०.१२०, ०.६१० एकड़ १.३३.०० में से पैका रकवा को कृषि/पड़ती गिन प्रयोजन के लिए इट बनाई दी पुरोगांठ हेतु व्यपवर्तित किये जाने की अनुमति चाही गई है। आवेदन पत्र के साथ आवेदित भूमि की रजिस्ट्री पत्र, भू-अधिकार पुरितिका छाया प्रति/खसरा, वी-१ एवं मानचित्र आदि की छाया प्रतिग्राम-दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किये गये हैं।

2—प्रकरण दर्ज किया जाये।

3—प्रकरण में इस्तहर जारी किया जाये।

4—संवंधित विभागों उपराजालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा/आयुक्त, नगर पालिका निमाय, खंडवा/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (प्रस्तुत) कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, खंडवा/ग्रामीण/सरपंच, ग्राम पालिका जनपद पंचायत द्वारा इसके अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये। तदानुसार पत्र जारी हो।

5—अधीकार, भू-अभिलेख, खंडवा/ग्राम निरीक्षक, डाय. खंडवा से आवेदित स्थल का रथल जीवं प्रतिवेदन-रेन्ट गणना सबधो जानकारी मय अभिगत प्राप्त की जाये।

पेशी दिनोंका 31/10/2014

अनुभागीय अधिकारी (रा)
अनुभाग—खंडवा

न्या० अ० वि० अ० रकवा के ऊडमांड-०६/३८-२/१५-१५ हॉडवाड
में स्थित समूही आडेश पश्चिम इनांड-१६/१०/१५ से छाड़ा
इनांड-०१/११/१५ तक के नहले

क्रमस्ती आशा गते कमलेश देवी नं. ७३७

राज्यालय अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग-खंडवा, जिला-खंडवा

प्रकरण क्रमांक..... / ३-२ / २०१४-२०१५
पौजा-ग्राम सोलवाडा तहसील-खंडवा।



आवेदक श्रीमती आशा रोही पति श्री कमलेश रोही निवासी, रांतोपनगर, खंडवा
तहसील-खंडवा।

.....आवेदक

॥ दृश्यादृश ॥

(आज दिनांक १६-१०-२०१४ को जारी)

आवेदक/ अधिकारी/ रांतोपनगर/ रांथा ने ग्राम सोलवाडा तहसील-खंडवा रियत नियोगालय की एवं
कल्पों की गूमि खरारा नं ८७४, ८७५ कमशः रकमा ०.७२०, ०.६१० हैं कुल रकमा १.३३० है।

२- उक्त गूमि को "औधोगिक इट बनाने के प्रयोजनार्थ" हुतु आपवर्तन किये जाने की अनुमति चाही गई है।
अनुमति आवेदक/ आवेदकारी/ रांथा को दिये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्तिको कोई
आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित/ गोलिक रूप में न्यायालय में उपरिधत होकर दिनांक
३१-१०-२०१४ तक पेश कर सकता है। नियत दिनांक/ अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई
विचार नहीं किया जावेगा और ना ही योई सुन्दरी होगी।

अनुबिभागीय अधिकारी (रा)
अनुभाग-खंडवा



खंडवा, दिनांक १६-१०-२०१४

प्राप्तान्तर/ नि- / अठ००३० / १४ / २२४५

प्रतिलिपि-

कार्यालय माल, तहसील कार्यालय, खंडवा की ओर तामिली एवं रिपोर्ट हेतु।

- १- एक प्रति कार्यालय तहसीलदार, तहसील-खंडवा। के सूचना पटल पर चरपा हेतु।
- २- एक प्रति कार्यालय गुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचायल, छागवामखन तहसील- खंडवा
के सूचना पटल पर चरपा हेतु।
- ३- एक प्रति कार्यालय, सरपंच, ग्राम- चायत, दोंदवाडा। जन.पंचा. छांगावामखन के सूचना पटल
पर चरपा हेतु।
- ४- एक प्रति आवेदत स्थल ग्राम दोंदवाडा। तहसील-खंडवा। की गूमि खसरा नम्बर ८७४, ८७५
पर मुगाडी एवं चरपा हेतु।

अनुबिभागीय अधिकारी (रा)
अनुभाग-खंडवा

न्याय अंग किए अठ० रकमा के छठमल-०६/३-२/१५-१५
दोंदवाडा के संलग्न इश्तदार की नक्षा
क्षीमती आशा पति कमलेश नि. (८०८)



(69)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-खंडवा। जिला-खंडवा

प्रकरण क्रमांक 06 / अ-२ / 2014-2015

मौजा - ग्राम दोदवाडा। तहसील-खंडवा।

1- श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश रोही

निवासी सांतोषनगर कालोनी, खंडवा तहसील एवं जिला-खंडवा।

आवेदिका।

॥ आदेश ॥

(पारित दिनांक 07-11-2014)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी निवासी, खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन पत्र अधिकर्ता श्री अरुण गुप्ता के माध्यम से, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 दी धारा 172 (1) के तहत नियत प्रक्रम में पेश कर ग्राम दोदवाडा तहसील-खंडवा स्थित मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं० 874, 875 क्रमशः रक्या 0.720, 0.610 हें० कुल रक्या 1.330 हैक्टर का व्यपर्यान "ओयोगिक-ईट" चाहाने के प्रयोजनार्थ" हेतु चाहा गया है। आवेदन पत्र के साथ भूमि की रजिस्ट्री छाया प्रति भूमि का नक्शा, खसरा, वी-१, मानचित्र आदि दस्तावेज संलग्न पेश किये गये हैं।

2- उक्त आवेदित कृषि भूमि को कृषि भिन्न "ओयोगिक ईट चाहाने के प्रयोजन" हेतु व्यपर्यान किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में इशतहार जारी किया। नियत अवधि में कोई आपत्ति न्यायालय में प्राप्त नहीं हुई। साथ ही संविधित विभागों से तत्संबंधी अभिमत चाहा गया। अधीक्षक, भू-अभिलेख परिं० एवं राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा से स्थल जाँच प्रातिवेदन एवं रेट गणना चाहत जानकारी प्राप्त की गई।

3- उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा तथा अन्य संविधित विभागों की एनओसी समयावधि में प्राप्त नहीं। सरपंच, ग्राम पंचायत, दोदवाडा जनपद पंचायत, छेंगांवमायन का प्रति प्राप्त, जिसके दर्शित किया कि ग्राम दोदवाडा की जनसंख्या वर्तमान सर्वे अनुसार 1500 की है।

4- मेरे द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम-2003 "मूल अधिनियम की धारा=172 का संशोधन एवं प्रमुख संचित, म०प्र०शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वे परिपत्र दमांक एक २-१ / 2013 / सात / शा.६ दिनांक 25 जून-2014 की कंडिका-२ का अवलोकन किया। "इस धारा के प्रावधानानुसार 2000 से कम की जनसंख्या वाले ग्रामों में स्थित भूमियों के लिये अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मामलों में केवल धारक द्वारा उपखंड अधिकारी प्रतिवेदन, रेट गणना प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प०ह०न०-८८/३८ ग्राम दोदवाडा प्रतिवेदन, रेट गणना प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प०ह०न०-८८/३८ ग्राम दोदवाडा तह०खंडवा, की भूमि खसरा नं० 874, 875 क्रमशः रक्या 0.720, 0.610 हें० कुल रक्या 1.330 हैक्टर भूरा० रुपये २०० आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी दोदवाडा में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। आवेदिका ने उक्त वर्णित खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। आवेदिका ने ग्राम पंचायत, दोदवाडा विकास खंड, छेंगांवमायन की सीमा अन्तर्गत आती है। भूमि ग्राम दोदवाडा ग्राम पंचायत, दोदवाडा संगा में स्थित नहीं है।

-2-

न्यायालय अधिकारी अप० रवाणा के रुपां० ०६/अ०
दोदवाडा में संलग्न ग्रामपालियन दिन
(११/११/१४ के अनुसार)
श्रीमती आशा पति कमलेश सेठी





(6)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग—खंडवा। जिला—खंडवा
प्रकरण क्रमांक 06 / अ-२ / 2014-2015

मौजा — ग्राम दोंदवाड़ा। तहसील—खंडवा।

1— श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी

निवासी संतोषनगर कालोनी, खंडवा तहसील एवं जिला—खंडवा।

..... आवेदिका।

॥ आदेश ॥

(पारित दिनांक 07-11-2014)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी निवासी, खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन पत्र अधिवक्ता श्री अरुण गुप्ता के माध्यम से, मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता—1959 की धारा 172 (1) के तहत नियत प्ररूप में पेश कर ग्राम दोंदवाड़ा तहसील—खंडवा स्थित मालकी एवं कब्जे की भूमि खसरा नं० 874, 875 कमशः रकवा 0.720, 0.610 है० कुल रकवा 1.330 है॑टर का व्यपवर्तन “औघोगिक—ईंट” बनाने के प्रयोजनार्थ” हेतु चाहा गया है। आवेदन पत्र के साथ भूमि की रजिस्ट्री छाया प्रति, भूमि का नक्शा, खसरा, बी—१, मानचित्र आदि दस्तावेज संलग्न पेश किये गये हैं।

2— उक्त आवेदित कृषि भूमि को कृषि भिन्न “औघोगिक ईंट बनाने के प्रयोजन” हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में इश्तहार जारी किया। नियत अवधि में कोई आपत्ति न्यायालय में प्राप्त नहीं हुई। साथ ही संबंधित विभागों से तत्संबंधी अभिनवत चाहा गया। अधीक्षक, भू—अभिलेख परि० एवं राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा से स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं रेट गणना बाबत जानकारी प्राप्त की गई।

3— उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा तथा अन्य संबंधित विभागों की एनओसी समयावधि में प्राप्त नहीं। सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा जनपद पंचायत, छैगांवमाखन का पत्र प्राप्त, जिसमें दर्शित किया कि ग्राम दोंदवाड़ा की जनसंख्या वर्तमान सर्वे अनुसार 1500 की है।

4— मेरे द्वारा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम—2003 “मूल अधिनियम की धारा—172 का संशोधन एवं प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ २-१ / २०१३ / सात / शा.६ दिनांक 25 जून—२०१४ की कंडिका—२ का अवलोकन किया। ”इस धारा के प्रावधानानुसार 2000 से कम की जनसंख्या वाले ग्रामों में स्थित भूमियों के लिये अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मालों में केवल धारक द्वारा उपखंड अधिकारी को व्यपवर्तन की लिखित सूचना दी जाना पर्याप्त है।

5— अधीक्षक, भू—अभिलेख परि./राजस्व निरीक्षक डाय. खंडवा द्वारा आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा खसरा नं० 874, 875 कमशः रकवा 0.720, 0.610 है० स्थल की जाँच की जाकर दोंदवाड़ा खसरा नं० 874, 875 कमशः रकवा 0.720, 0.610 है० कुल रकवा 1.330 तह०खंडवा, की भूमि खसरा नं० 874, 875 कमशः रकवा 0.720, 0.610 है० आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी है॑टर भू०रा० रुपये २=०० आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। आवेदिका ने उक्त वर्णित माल को कृषि भिन्न प्रयोजन औघोगिक—ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन चाहा है। मापूर्ण भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन औघोगिक—ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन चाहा है। आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा विकास खंड, छैगांवमाखन की सीमा अन्तर्गत आती है। भूमि, नगर पालिक निगम, खंडवा संगम में स्थित नहीं है।

-2-



न्यायालय अधिकारी अप० रवेंद्र के छ० ऊ० -०
दोंदवाड़ा में संलग्न आदेश पारित
०८/११/१५ ७३ नं०
श्रीमती आशा पति कमलेश सेठी



-2-

आवेदित भूमि शासकीय अधिकार पद्धते को भूमि नहीं है। भूमि ग्राम दोंदवाड़ा में ग्रामपंचायत विधायक सभा करीबन 13 कि.मी. की दूरी पर है, भूमि का व्यपवर्तन औद्योगिक-ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु किया जाता है तो किसी प्रकार का प्रदूषण अवश्यक न्यूसेंस नहीं होगा। प्रश्नाधीन आवेदित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर का वर्गफीट में लोअरफल

143160 वर्गफीट (13300 वर्गमीटर) होता है।

आवेदित भूमि की चतुरसीमा निम्नानुसार है :-

पूर्व दिशा में

— हुकुम, प्रभु एवं बलीराम की भूमि।

पश्चिम दिशा में

— खसरा नं० 858/2 की भूमि

उत्तर दिशा में

— आम रास्ता।

दक्षिण दिशा में

— आम रास्ता।

प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई-2014 वर्धित अनुरूपी अनुसार भूमि के उपयोग हेतु भूराजरव के पुनर्निर्धारण हेतु दर/प्रीमियम का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम दोंदवाड़ा (ग्राम पंचायत परिसीमा) तहसील-खंडवा हेतु कलेक्टर, खंडवा गाईड लाईन वर्ष 2014-15 अनुसार बाजार मूल्य रुपया 23,40,900=00 (तेईस लाख चालीस हजार नौ सौ रुपया) प्रति हैक्टर के मान से निर्धारित है, इस लाईन अनुसार बाजार मूल्य रुपया 31,13,397=00 (इकतीस लाख तेरह हजार तीन सौ सत्यानवे रुपया) निर्धारित होती है, इस राशि का 0.2 प्रतिशत औद्योगिक भू-परिवर्तित रेन्ट रुपया 6,227=00 वार्षिक, तथा इस राशि का 50 प्रतिशत पंचायत उपकर रुपया 3,114=00 होता है, तथा 1 प्रतिशत प्रीमियम राशि रुपया 31,114=00 राजस्व वर्ष 2014-2015 से निर्धारित कर कायम किया जाना तथा कृषि भू-राजस्व रुपया 2=00 कम किया जाना प्रस्तावित किया है, जो एतद्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

5- प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि ग्राम दोंदवाड़ा 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है 0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर भूरा० रुपये 2=00श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी खंडवा के नाम शासकीय अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है। भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजन औद्योगिक-ईंट बनाने के प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किये जाने वालत हस्तहार जारी होने पर, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अतएव उक्त विवेचना परिप्रेक्ष्य में ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा की भूमि खसरा नं० 874, 875 कमशः रकबा 0.720, 0.610 है 0 कुल रकबा 1.330 हैक्टर (अर्थात् 143160 वर्गफीट/13300 वर्गमीटर) भूमि का "औद्योगिक-ईंट बनाने के प्रयोजन" हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं निर्धारण के तहत प्रदान की जाती है।

1- व्यपवर्तित भूमि कुल रकबा 1.330 हैक्टर अर्थात् 143160 वर्गफीट/13300 वर्गमीटर भूमि पर औद्योगिक परिवर्तित रेन्ट रुपया 6,227=00 प्रतिवर्ष, पंचायत उपकर रुपया 3,114=00 प्रतिवर्ष तथा प्रीमियम रुपया 31,134=00 कायम किया जाता है। औद्योगिक परिवर्तित रेन्ट राजस्व वर्ष 2014-2015 से देय होगा। कृषि भूरा० 2=00 कम किया जाता है।

2- व्यपवर्तित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व, स्थानीय संस्था, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा से भवन निर्माण अनुमति, उपयंत्री मानचित्र अनुमोदन, प्राप्त करना आवश्यक होगा। व्यपवर्तित भूमि का अन्य मद प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जावेगा।

-3-

(71)



-3-

3- पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी प्रकार के प्रदूषण हेतु (यदि आवश्यक हो तो) मोप्र०प्रदूषण निवारण मंडल से अनापति पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4- विघुत लाईन के नीचे अथवा विघुत लाईन से प्रभावित क्षेत्र में विकास/निर्माण कार्य प्रतिबंधित होगा।

5- भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनीकी से करना आवश्यक होगा। वर्ष/छत के पानी की हार्डस्टिंग प्रणाली की वैकल्पिक व्यवस्था म.प.भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) में दिये गये विकल्पों के अनुसार करना अनिवार्य होगा। भवन में निःशक्त व्यक्तियों के लिये वाधा रहित आवागमन हेतु उचित प्रावधान (रेप्प इत्यादि) करना अनिवार्य होगा।

6- स्थल पर विघमान वृक्षों को यथावत रखा जावें, जिन वृक्षों को काटना हो उसके लिये नियमानुसार अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा। भूमि-भूखंड का उपविभाजन मार्य नहीं होगा।

7- प्रस्तावित उपयोग से संबंधित समस्त सुरक्षा साधनों की स्वयं को व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं की भूमि पर करना होगा।

8- भूमिस्वामित्व संबंधी वाद/विवाद होने की दशा में अथवा गलत जानकारी देने अथवा आदेश में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन की दशा में दी गई अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी।

यह आदेश आज दिनोंक 07-11-2014 को ऐसे हस्ताक्षर एवं सील मुद्रा से जारी किया।



(महेन्द्रसिंह कवच)
अनुबंधित अधिकारी (रा.)
ग्राम पंचायत खंडवा

खंडवा, दिनोंक 07-11-2014

पृष्ठां०कं०क / री-अ०वि०अ०/ 2014

प्रतिलिपि-

- 1- उपसचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, खंडवा।
- 2- तहसीलदार, तहसील-खंडवा/सहा०अधी० परिवर्तित शाखा, खंडवा।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा। जन०पंचा० छैगांवमाखन। तहसील-खंडवा।
- 4- पटवारी, ग्राम दोंदवाड़ा। तह०खंडवा द्वारा- राजस्व निरीक्षक, छैगांवमाखन।
- 5- आवेदिका श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, निवासी संतोषनगर कालोनी, खंडवा। तहसील एवं जिला-खंडवा। की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु। औद्योगिक खंडवा। अनुबंधित रेन्ट/प्रीमियम राशि अविलंब जमा कर चालान प्रति पेश करें।

अनुबंधित अधिकारी (प्रियकारी)
अनुबंधित अधिकारी (रा.)
ग्राम पंचायत खंडवा

संतोषनगर

प्रधान प्रतिलिपि
तहसील, खंडवा
(07/11/15)

Signature

ग्रालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग-खंडवा, जिला-खंडवा
 प्रकरण क्रमांक..... / ३-२ / २०१४-२०१५
 मौजा-ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा।

आवेदक श्रीमती आशा सेठी पति श्री कन्लेश सेठी निवासी, संतोषनगर, खंडवा
 तहसील-खंडवा।

.....आवेदक

॥ इश्तदार ॥

(आज दिनांक १६-१०-२०१४ को जारी)

आवेदक/आवेदकगण/संस्था ने ग्राम दोंदवाड़ा तहसील-खंडवा रिति निजी मालकी एवं
 कब्जे की भूमि खसरा नं० ८७४, ८७५ क्रमशः रकवा ०.७२०, ०.६१० है० कुल रकवा १.३३० है०
 का औद्योगिक इंट बनाने के प्रयोजनार्थ "हेतु व्यपवर्तन किये जाने की अनुमति चाही गई है।
 २- उक्त भूमि को "औद्योगिक इंट बनाने के प्रयोजनार्थ" मद में व्यपवर्तन किये जाने की
 अनुमति आवेदक/आवेदकगण/संस्था को दिये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्तिको कोई
 आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित/मौखिक रूप में न्यायालय में उपरिथत होकर दिनांक
 ३१-१०-२०१४ तक पेश कर सकता है। नियत दिनांक/अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई
 विचार नहीं किया जावेगा और ना ही कोई सुनवाई होगी।



अनुविभागीय अधिकारी (रा)
 अनुभाग-खंडवा

खंडवा, दिनांक १६-१०-२०१४

पृष्ठां०क००क/री-/अ०वि०अ०/१४/२२८५
 प्रतिलिपि-

जमादार माल, तहसील कार्यालय, खंडवा की और तामिली एवं रिपोर्ट हेतु।

- १- एक प्रति कार्यालय तहसीलदार, तहसील-खंडवा। के सूचना पटल पर चर्पा हेतु।
- २- एक प्रति कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, छैगांवामखन तहसील- खंडवा
 के सूचना पटल पर चर्पा हेतु।
- ३- एक प्रति कार्यालय, सरपंच, ग्राम पंचायत, दोंदवाड़ा। जन.पंचा. छैगांवामखन के सूचना पटल
 पर चर्पा हेतु।
- ४- एक प्रति आवेदित स्थल ग्राम दांदेवाड़ा। तहसील-खंडवा। की भूमि खसरा नम्बर ८७४, ८७५
 पर मुनादी एवं चर्पा हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
 अनुभाग-खंडवा